

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर


क्रमांक: रापक/संस्था/2018/450

दिनांक: 16/10/18

आदेश

श्रीमती संयुक्ता शर्मा, क0 विशेषज्ञ, नेत्र, पदस्थापित कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार प्रकृति के अवकाशो व राजपत्रित अवकाशो के उपभोग की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	अवकाश की प्रकृति	अवकाश कब से कब तक	राजपत्रित अवकाश		उपार्जित अवकाश स्वीकृत से पूर्व अवकाश	उपार्जित अवकाश स्वीकृति के पश्चात् शेष अवकाश
			उपार्जित अवकाश से पूर्व	उपार्जित अवकाश के पश्चात्		
1	निरोधावकाश (Quarantine leave)	1.5.2018 से 14.5.2018 तक (14 दिवस)	-	-	-	-
2	उपार्जित अवकाश	29.5.2018 (01 दिवस)	-	-	176	175
3	उपार्जित अवकाश	3.10.2018 से 12.10.2018 (10 दिवस)	-	13.10.2018 से 14.10.2018	175	165
4	चाईल्ड केअर अवकाश	22.10.2018 से 18.2.2019	-	-	-	-



निदेशक (प0क0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें


राजस्थान जयपुर

दिनांक: 16/10/18

क्रमांक: रापक/संस्था/2018/450

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी (प0क0) मुख्यालय।
2. निदेशक, सीफू, जयपुर।
3. श्रीमती संयुक्ता शर्मा, क0 विशेषज्ञ, नेत्र, पदस्थापित कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
4. सर्वर रूम प्रभारी को संबंधित को ई-मेल हेतु।
5. आदेश/निजी पत्रावली।



अति0 निदेशक (प0क0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर